न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 125/2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. आकी देवी पत्नी पेमाराम जाति सीरवी निवासी— ग्राम सियाट तहसील— सोजत, जिला— पाली।		1. पुरण पिता पुखराज जाति सरगरा निवासी— शास्त्री नगर, सोजत रोड़ तहसील सोजत।
02. पानी पुत्री पेमाराम जाति सीरवी निवासी— बेरा नवादिया ग्राम सियाट तहसील सोजत जिला पाली।		02. मोहनलाल पुत्र पेमाराम जाति सीरवी निवासी— ग्राम सियाट तहसील— सोजत, जिला— पाली।
03. सोहन पुत्र मेमाराम जातिया सीरवी निवासी— सियाट तहसील सोजत जिला— पाली राजस्थान		03. तहसीलदार भूमिधारक सोजत तहसील सोजत, जिला— पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित ओदश 39 नियम01 व 02 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थितिः—

01. श्री कैलाश दवे एवं श्री देवेन्द्र व्यास अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।
02. श्री किशन सोनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।
03. श्री राजाराम प्रजापति अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 19/9/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सियाट पटवार क्षेत्र सियाट भू.अ.नि.क्षेत्र बगडी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 196 के खसरा नम्बर 340 रकबा 0.1500 हैक्टर किस्म बा0 अ0 की कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 एवं अन्य सहखातेदार गीता एवं दाखु की संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 01 लगायत 3 प्रत्येक का 01/06 हक हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थी संख्या 02 का व अन्य सहखातेदार गीता एवं दाख प्रत्येक का 01/06 हक हिस्सा खातेदारी का इन्द्राज सुदा है। उपरोक्त वर्णित कृषि भमि को प्रार्थना पत्र में वादस्थ कृषि भूमि से सम्बोधित किया जाएगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 एवं अन्य सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त आई हुई स्थित है, उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 का एवं अप्रार्थी संख्या 02 का 01/06 हक हिस्सा खातेदारी, कब्जाकाश्त का इन्द्राजसुदा है। वादस्थ भूमि के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 एवं मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 03 व 04 मौखिक बंटवाड़ा अनुसार अपने अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त होकर के उपयोग, उपभोग करते आए है। लेकिन वादस्थ कृषि भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 व अन्य सहखातेदार के मध्य आज दिनांक तक राजस्व रेकार्ड में विधिक बंटवाड़ा नहीं हो रखा है अर्थात् वादस्थ भूमि अविभाजित कृषि भूमि है तथा संयुक्त व अविभाजित कृषि भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर संयुक्त हक हिस्सा निहित होता है। वादस्थ भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 व अन्य सहखातेदार के मध्य कभी भी विधिक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। अप्रार्थी संख्या 02 जो कि प्रार्थी संख्या 01 का पुत्र है तथा प्रार्थी संख्या 02 व 03 जो कि मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 03 व 04 है का सगा भाई है तथा अप्रार्थी संख्या 02 की नियत बद्ध हो चुकी थी व वादस्थ भूमि में प्रार्थीगण व अपनी बहिन गीता व दाखु के हक हिस्से की भुमि को बदनियति पूर्वक हड़प करने की गरज से बिना प्रार्थीगण की सहमति व स्वीकृति प्राप्त किए बाले बाले यह जानते हुए कि वादस्थ कृषि भूमि का राजस्व रेकार्ड में वैध बंटवाड़ा नहीं हो रखा है, उसके बावजूद वादस्थ अविभाजित कृषि भूमि के वैध बंटवाड़े के अभाव में कब्जे के अभाव में दिनांक 12.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अपने 01/06 हक हिस्से का बेचान पंजीयन करवा दिया। जबकि अप्रार्थी संख्या 02 को प्रार्थीगण एवं गीता व दाखु से बिना विधिक बंटवाड़ा करवाए वादस्थ कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण करने का कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रार्थी संख्या 02 का वादस्थ भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त उपयोग, उपभोग नहीं रहा है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा वैध खातेदारान के मध्य बंटवाड़े व कब्जे के अभाव में अप्रार्थी संख्या 01 को विधि विरूद्ध रूप से बेचान किया गया जो बेचान विधि विरूद्ध होने से शुन्य व निष्प्रभावी दस्तावेज है तथा अप्रार्थी संख्या 01 को भी अप्रार्थी संख्या 02 से खरीद करने से पूर्व तमाम खातेदारान के मध्य वैध बंटवाड़ा हेा जाने के पश्चात राजस्व रेकार्ड में खाता कायम होने के पश्चात् ही उक्त भूमि को क्रय करना था । लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 जो कि जमीन खरीदने का व्यवसाय करता है जिसने अप्रार्थी संख्या 02 से कब्जे के अभाव मे बेचान पंजीयन अपने पक्ष में करवाया है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 वादस्थ भूमि का कतई सद्भाविक क्रेता नहीं है। दिनांक 02.09.2021 को प्रार्थीगण वादस्थ भूमि में अपने हक हिस्से की सार–सम्भाल हेतु मौके पर गए तो आगे मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तथा कुछ अजनबी व्यक्ति मिले, जो जमीन बेचने–खरीदने की वार्ता कर रहे थे । जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 व 2 को उक्त संबंध में पूछा, तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण को आते ही गाली–गलौच करना शुरू कर दिया तथा एलानिया धमकियां देने लगा कि उपरोक्त भूमि पर तुम लोगो की पैर रखने की हिम्मत कैसे हो गई है। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को ऐसा नहीं करने का कहा। जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त कृषि भूमि में अपने हक हिस्से को अप्रार्थी संख्या 01 बेचान करने की जानकारी दी तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा भी मौके पर प्रार्थीगण को अपने पक्ष में निष्पादित बेचान के आधार पर कब्जे, काश्त उपयोग, उपभोग नहीं करने की एलानियां धमकियां देने लगा। जबकि अप्रार्थी संख्या 02 को वादस्थ कृषि भूमि का प्रार्थीगण से बिना विधिक बंटवाड़ा करवाए किसी भी व्यक्ति को बेचान करने पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, न ही अप्रार्थी संख्या 02 को उक्त विधि विरूद्ध बेचान के आधार पर प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विधि विरूद्ध बेचान के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम इन्द्राज करवा कर प्रार्थीगण को वादस्थ भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकिया दी जा रही है तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से पर अवैध कब्जा करने की भी धमकिया दी है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं हे। अप्रार्थी सख्या 01 उपरोक्त कृषि भूमि के संबंध में एक अजनबी व्यक्ति है जिसको की प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि में किसी प्रकार से दखल, बाधा कारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 अपने पक्ष में निष्पादित बेचान के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम इन्द्राज करवा कर प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को अपनी भूमि होना बता कर प्रार्थी को उक्त वादस्थ भूमि से बेंदखल कर भू–माफियों को बेचान, हस्तान्तरण करने को उतारू है, जिसका की अप्रार्थीगण को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण प्रत्येक का वादस्थ कृषि भूमि में 01/06 हक हिस्सा खातेदारी, कब्जेकाश्त का निहित है तथा प्रार्थीगण ने अपने

हक हिस्से की भूमि पर लाखों रूपये विनियोजित कर उपजाउ योग्य बनाया है। जिसको कि अप्रार्थी संख्या 01 लाठी लकड़ी के बल पर हड़प करना चाहता है। इसलिए प्रार्थीगण वादस्थ कृषि भमि में अपने 01/06, 01/06, 01/06 हक हिस्से का अप्रार्थी संख्या 02 एवं शेष खातेदार से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिक बंटवाड़ा करवा कर पृथक से कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 01 वादस्थ कृषि भूमि के संबंध में अपने पक्ष में विधि विरूद्ध रूप से कब्जे के अभाव में अपने पक्ष में विधि विरूद्ध रूप से कब्जे के अभाव में निष्पादित बेचान दस्तावेज के आधार पर अपना नाम अमल दरामद करवार कर प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को हड़प कर अन्यत्र विक्रय, हस्तान्तरण, रहन इत्यादि करने को आमादा है तथा प्रार्थीगण को मौके पर प्राप्त हक हिस्से की भूमि पर अवैध कब्जा कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग, उपभोग में दखलअंदाजी करने पर उतारू है। जिसका कि अप्रार्थी संख्या 01 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 उक्त विधि विरूद्ध कृत्य करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण अपनी खातदोरी कब्जे काश्त की भुमि के उपयोग, उपभोग से वंचित हो जाएगें जिसका मूल्यांकन कतई रूपयों में नहीं आंका जा सकेंगा। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 को ऐसे विधि विरूद्ध कृत्य से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, क्योंकि प्रार्थीगण वादस्थ भूमि के वैध खातेदार, काश्तकार है तथा वादस्थ भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 02 व अन्य के मध्य आज दिनांक तक वैध बंटवाड़ा नहीं हो रखा है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा बाले–बाले बिना प्रार्थीगण की सहमति व स्वीकृति प्राप्त किए वादस्थ भमि का बिना विधिक बंटवाड़ा करवाए कब्जे के अभाव में विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 01 को अपने हक हिस्से का बेचान पंजीयन करवा दिया, जबकि अप्रार्थी संख्या 02 को बिना विधिक बंटवाड़ा करवाए वादस्थ भूमि का बेचान करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त विधि विरूद्ध बेचान के आधार पर प्रार्थीगण के हक हिस्से की भमि पर अवैध कब्जा कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग में दखल अंदाजी करने पर उतारू है तथा अपने पक्ष में निष्पादित बेचान के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवा कर प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को अन्यत्र विक्रय, हस्तान्तरण करने पर उतारू है, जिसका कि अप्रार्थी संया 01 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं हे। अप्रार्थी संख्या 01 उपरोक्त भूमि के संबंध में अजनबी व्यक्ति है, यदि अप्रार्थी संख्या 01 उक्त विधि विरूद्ध कृत्य करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भमि के उपयोग व उपभोग से वंचित हो जाएंगे, जिसका मूल्यांकन कतई रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। इसलिए अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र मय शपथ – पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक सरहद मौजा ग्राम सियाट पटवार क्षेत्र सियाट भू.अ.नि. क्षेत्र बगडी तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 196 के खसरा नम्बर 340 रकबा 0.1500 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक के 01/06 हक हिस्से की भूमि के कब्जे–काश्त उपयोग व उपभोग में दखल अंदाजी न तो स्वयं करने और न ही अन्य से कराने तथा प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध कब्जा न तो स्वयं करने, न ही अन्य से कराने तथा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया जाने तथा वादस्थ भूमि के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखे जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री किशनसिंह ने

वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण ने कृषि भूमि के खसरा नम्बर रकबा व हिस्सा वर्णित किया है जो सही होने को स्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी दो मोहनलाल के हक हिस्से की कृषि भमि को जरिए रजिस्टर्ड बेचान के खरीदकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है तथा वक्त खरीद से आज दिन तक मोहनलाल के हिस्से की कृषि भमि में मुझ अप्रार्थी संख्या एक का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अब प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का माफिक कानून बंटवाड़ा पूर्व में मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या एक को किसी प्रकार की कोई आपति नहीं है। अप्रार्थी संख्या दो अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार काबिज था, उसी मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार काबिज सुदा हक हिस्से की भूमि का बेचान कर बेचान रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में करवाकर मौके पर मुझे कब्जा सुपुर्द किया था। तब से लगाकर मैं मेरी खरीदा सुदा कृषि भूमि पर शान्तिपूर्ण तरीके से आज दिन तक काबिज चला आ रहा है। इसके अनुसार कानूनी बंटवाड़ा कर दिया जाता है तो मुझे अप्रार्थी संख्या एक को कोई आपति नहीं है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या दो, तीन व चार के बीच आपसी समझाईश से पारिवारिक बंटवाड़ा हो चुका है एवं उसी के अनुसार मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या दो, तीन व चार काबिज काश्त होने से अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो से उसके हक हिस्से की कृषि भूमि को जरिए रजिस्टर्ड बेचान के खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है तथा वक्त खरीद से आज दिन तक अप्रार्थी संख्या एक मौके पर काबिज काश्त है और यदि इसी अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच कानूनिया विधिक बंटवाड़ा किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या एक को कोई आपति नहीं है। प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध नहीं कर सकते तब तक अप्रार्थी संख्या एक को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के कतई नहीं रोका जा सकता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु बार–बार अवसर दिए जाने के बावजूद पेश नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2022 को बंद किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि तामैसला मूल वाद के निस्तारण अप्रार्थीगण को सरहद मौजा ग्राम सियाट पटवार क्षेत्र सियाट भू.अ.नि.क्षेत्र बगडी तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 196 के खसरा नम्बर 340 रकबा 0.1500 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक के 01/06 हक हिस्से की अविभाजित कृषि भूमि के कब्जे–काश्त उपयोग व उपभोग में दखल अंदाजी न तो स्वयं करने और न ही अन्य से कराने तथा प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध कब्जा न तो स्वयं करने, न ही अन्य से कराने तथा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किये जाने तथा वादस्थ भूमि के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा पाबन्द किया जाने की ईस्तदुआ की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ने कृषि भूमि के खसरा नम्बर रकबा व हिस्सा वर्णित किया है जो सही होने को स्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी दो मोहनलाल के हक हिस्से की कृषि भमि को जरिए रजिस्टर्ड बेचान के खरीदकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है तथा वक्त खरीद से आज दिन तक मोहनलाल के हिस्से की कृषि भमि में मुझ अप्रार्थी संख्या एक का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अब प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का माफिक कानून बंटवाड़ा पूर्व में मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार किया

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

जाता है तो अप्रार्थी संख्या एक को किसी प्रकार की कोई आपति नही होना स्वीकार किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 के जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पक्षकारों के हक अधिकार मूल वाद में प्रस्तुत वाद–पत्रज ज0दा0 एवं दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायत होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रेकर्ड पर लेकर वाद विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण अन्यत्र किसी को किया जायेगा तथा चूकि वादस्थ भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 वादस्थ भूमि में संयुक्त खातेदार है तथा दस्तावेजी साक्ष्य से मोहनलाल द्वारा वादस्थ भूमि का बैचान अप्रार्थी संख्या 01 को किये जाने की सम्पुष्टि होती है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होना सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होना बखूबी साबित है। लिहाजा वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने (Status Quo) तथा विशिष्ट भू –भाग का बैचान रहन हस्तान्तरण आदि करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है। सरहद मौजा सियाट पटवार क्षेत्र सियाट भू.अ.नि.क्षेत्र बगडी तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 196 के खसरा नम्बर 340 रकबा 0.1500 हैक्टर किस्म बा0अ0 की कृषि भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं हिस्से की भूमि के मौके यथास्थिति बनाई रखने तथा विशिष्ट भू–भाग का बैचान इत्यादि नही करने से अप्रार्थीगण को वाद निर्णय तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 13/9/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत